


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-5/स्थानांतरण/भूगोल/2020-21/1-73 दिनांक-02.02.2021 के तहत सुरेन्द्र सिंह रत्नू व्याख्याता, राजस्थानी साहित्य राउमावि धावा जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि गजसिंहपुरा शेरगढ जोधपुर एवं विमला बिश्नोई व्याख्याता राजस्थानी साहित्य का स्थानांतरण राउमावि कालबेरी जोधपुर स्थानान्तरणाधीन राउमावि जालोर से राउमावि. धावा जोधपुर किया गया। सुरेन्द्र सिंह रत्नू ने उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 2245/21 सुरेन्द्र सिंह रत्नू बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

याचिका संख्या 2245/21 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.02.21 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी सुरेन्द्र सिंह रत्नू की सीमा तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 02.02.21 को याचिकार्थी सुरेन्द्र सिंह रत्नू के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरेन्द्र सिंह रत्नू, व्याख्याता राजस्थानी साहित्य राउमावि धावा (219671) जोधपुर के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, विमला बिश्नोई का अन्तरिम समायोजन दोहरा पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि गजसिंहपुरा (220219) शेरगढ जोधपुर व्याख्याता, राजस्थानी साहित्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 2245/21 के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थ.सुरेन्द्र सिंह/2245/21/

दिनांक:- 18/02/2021

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
05. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
06. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक
10. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर